

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-6931, दिनांक-11.07.2018 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-17.07.2018 में मद संख्या-01 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी सचिका लौटायी जाती है।

1. संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 09 (नौ) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

1. स्वीकृत।

32
17.7.18

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

18/7/18

अ. 18-2

18/7/18

अ. 18/7/18
अ. 18/7/18
अ. 18/7/18

अ. 18/7/18
अ. 18/7/18
अ. 18/7/18

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रारूप-1

संकल्प

विषय:- संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 09 (नौ) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 30.06.2019 तक पुनर्नियोजन किये जाने संबंध में।)

राज्य में कनीय अभियंताओं (असैनिक) की नियुक्ति के लिए जल संसाधन विभाग नोडल विभाग था। जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा पथ निर्माण विभाग को सौंपी गई एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण विभाग को सेवा सौंपी गयी। संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जाता रहा है। संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सामान्य दिशा निर्देश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार पटना के संकल्प सं०-2401 दिनांक 18.07.2007 द्वारा निर्धारित है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-8025 दिनांक-21.05.2013 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। विगत वर्ष विभागीय कार्यालय आदेश सं०-39 सहपठित ज्ञापांक 785(भ) दिनांक 23.01.2018 द्वारा 09 (नौ) कनीय अभियंताओं को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन किया गया था, जिनका नियोजन अवधि दिनांक 30.06.2018 को समाप्त हो चुका है। फलतः भवन निर्माण विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित नियुक्ति में प्रक्रियात्मक विलंब एवं विभागीय कार्य के सुचारु संपादन को दृष्टिगत रखते हुए 09 (नौ) कनीय अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की दिनांक 17.07.2018 को सम्पन्न बैठक (मद सं०-01) में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(अजीत कुमार राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- भवन/03-स्था०ए०-07/2017..... 7857 (अ), पटना, दिनांक:- 24.7.18

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

(अजीत कुमार राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०३०.....

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-07/2017.....

7857 (13)

पटना, दिनांक:- 24-7-18

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु:-यथोक्त।

(अजीत कुमार श्री)

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-07/2017.....

7857 (13)

पटना, दिनांक:- 24-7-18

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु:-यथोक्त।

(अजीत कुमार श्री)

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन-03/स्था0ए0-07/2017.....

7857 (13)

पटना, दिनांक:- 24-7-18

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कुल 09 (नौ) कनीय अभियंता की सूची के साथ विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु:-यथोक्त

(अजीत कुमार श्री)

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

कार्या0आ0सं0-3-स्था0-ए0-07/2017.....295

143

कार्यालय आदेश

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-785(भ) दिनांक-24.7.18 द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष दिनांक-01.07.2018 से 30.06.2019 तक के लिए सरकार द्वारा निरूपित शर्तों एवं वंधेजों के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-39-सह-पठित ज्ञापांक-785(भ) दिनांक 23.01.2018 द्वारा संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) को विभिन्न अंचलो/प्रमंडलों में पदस्थापित किया गया था जिनकी नियोजन अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त कनीय अभियंताओं का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष दिनांक-01.07.2018 से 30.06.2019 तक के लिए विस्तार करते हुए पूर्व पदस्थापित प्रमंडल में पदस्थापित किया जाता है जो निम्नरूपेण है।

क्र0	कनीय अभियंताओं का नाम	गृह जिला	पदस्थापित प्रमंडल/अंचल का नाम
1.	श्री उपेन्द्र कुमार दीक्षित	औरंगाबाद	भवन प्रमंडल मुजफ्फरपुर
2.	श्री ओम प्रकाश यादव	धनबाद	भवन प्रमंडल लखीसराय
3.	श्री अमरेन्द्र प्रसाद	गया	भवन प्रमंडल मोतीहारी
4.	श्री अशोक कुमार	नालंदा	भवन प्रमंडल अररिया
5.	श्री राजीव रंजन सिंह	नालंदा	भवन प्रमंडल सहरसा
6.	श्री नारद राम	पूर्वी चम्पारण	भवन प्रमंडल शिवहर
7.	श्री राजू कुमार	रोहतास	भवन प्रमंडल सीतामढ़ी
8.	श्री रामाशीष भारती	लखीसराय	भवन प्रमंडल बैतिया
9.	श्रीमती प्रभावती कुमारी	पटना	भवन प्रमंडल गया

- यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरुद्ध एवं अधिकतम एक वर्षों के लिए है।
- यह संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
- संविदा के आधार पर नियोजन किये गये कनीय अभियंता को सरकारी सेवक नहीं माना जायेगा और न ही सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी प्रकार की सुविधा के हकदार होगा। साथ ही संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- नियोजित कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹27,000/- (सत्ताईस हजार) प्रतिमाह देय होगी।
- पदभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रैक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एक मुश्त भुगतान देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।

कृ0पृ0उ0.....

8. कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹27,000/- (सत्ताईस हजार) मुख्यशीर्ष-उपशीर्ष/ लघुशीर्ष के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ के लिए अदायगियों इकाई से विकलनीय होगी।
9. नियोजित कनीय अभियंताओं के पारिश्रमिक का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय द्वारा विस्तारित अवधि दिनांक 01.07.2018 से नियमानुसार देय होगी।
10. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में संबंधित कनीय अभियंताओं से एकरारनामा कराने के पश्चात ही उनके मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(अजीत कुमार राम)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी सभी संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

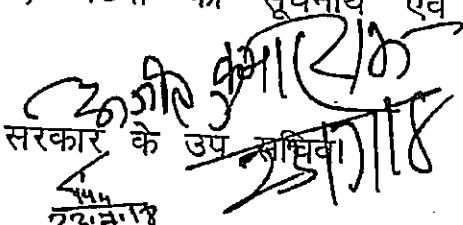
ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 7858 (अ)

पटना, दिनांक- 24.7.18

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग, भवन निर्माण विभाग/सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ सभी संबंधित संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
24.7.18